न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 106/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. पदमाराम पुत्र बागाराम जाट **2. सोनाराम पुत्र बागाराम जाट** **(निवासी ग्राम अनोपगढ, तह0 देचू, जिला जोधपुर)**		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार देचू जिला जोधपुर**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश कमांक 1140 दिनांक 28.02.22

उपस्थिति –
1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 के द्वारा तहसीलदार देचू के पत्र कमांक 208 दिनांक 3.2.22 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम अनोपगढ़ के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नम्बर 1407 की खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि में से 0.4345 हैक्टर भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है। जिसके लिए उसे सुनवाई का अवसर नही दिया और न ही उसने सहमति सहमति दी है। मौके पर रास्ता नही है, प्रत्यर्थी उक्त आदेश की आड में अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवाने पर आमदा है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इससे अपीलांट्स को अपूर्णीय क्षति होने के साथ मौके पर विवाद उत्पन्न होने व मुकदमेबाजी बढने की संभावना है। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसीलदार देचू द्वारा प्रस्ताव के संलग्न फर्द मौका दिनांक 03.02.22 के अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि पर आमजन द्वारा बनाये गये प्रचलित रास्तों का मौके पर भौतिक सत्यापन करने के उपरांत चालू रास्ते को कटान् बाबत राजस्व अभियान में रिकार्ड में अंकन व नक्शे में काटा जाना प्रस्तावित किया गया है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार देचू के आवेदन पर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स एवं संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2022 को अपीलांट्स के ख0नं0 1407 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर